सं. 12015/30/2017-रा.भा.(त.क.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-।। बिल्डिंग,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली -110001
दिनांक: 27 नवम्बर, 2017

कार्यालय - ज्ञापन

विषय : 10 नवम्बर, 2017 को सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित तकनीकी संगोष्ठी का कार्यवृत्त ।

सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में गुवाहाटी में 10 नवम्बर, 2017 को तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी का कार्यवृत्त संलग्न है।

2. अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत कराएं ।

संदीप 27/11/17
(संदीप आर्य)
निदेशक(तकनीकी)
दूरभाष : 23438129

संलग्न : यथोक्त

प्रति :-

1. अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी
2. अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता
3. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सूची संलग्न)
4. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव ।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (NIC) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु ।

दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित तकनीकी संगोष्ठी का कार्यवृत्त।

श्री प्रभास कुमार झा, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को गुवाहाटी में तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में पूर्वोत्तर एवं पूर्व क्षेत्रों में गठित नराकास के अध्यक्ष,सदस्य सचिव सहित अनेक कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों/ प्रतिभागीओं ने भाग लिया ।

2 कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रदीपन के साथ हुआ । मंचासीन महानुभाओं का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया । सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के बाद नराकास थीम गीत गुवाहाटी रिफाइनरी(उपक्रम) नराकास के द्वारा प्रस्तुत किया गया I

3. श्री संदीप आर्य, निदेशक (कार्यान्वयन) ने राजभाषा विभाग की ओर से संगोष्ठी में उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया Iउन्होंने बताया कि तकनीकी संगोष्ठी राजभाषा विभाग का प्रयास है जो पिछले साल से ही शुरू की गई है । समय के बदलाव के साथ भाषा के विकास के लिए नई तकनीक के प्रयोग से हिंदी का विकास संभव है। नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक के साथ जुड़कर कैसे हम हिन्दी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यह संगोष्ठी इस विषय में विचार-विमर्श का एक अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर सभी टूल्स का विवरण दिया गया है । लीला ऐप के मोबाइल वर्जन का निर्माण किया गया है । राजभाषा विभाग ने संयुक्त नराकास की वेबसाइट का निर्माण किया है । इस वेबसाइट पर पूरे देश में 455 नराकासों में से 35 नराकास तथा पूर्वोत्तर एवं पूर्व क्षेत्र के 80 नराकासों में से 09 नराकास द्वारा डाटा अपलोड किया गया है । उनके द्वारा सभी नराकास से संयुक्त नराकास की वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने हेतु अनुरोध किया गया ।

4. डॉ॰ बिपिन बिहारी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि पिछले एक वर्ष में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने बहुत से नए कार्य किए हैं । उनके द्वारा बताया गया कि पूरे देश में 695 जिले हैं जबकि नराकास 455 हैं । संयुक्त सचिव महोदय द्वारा राजभाषा नीति, अनुच्छेद 343, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), नियम 05 आदि के बारे में पावर प्वाइंट प्रेंजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई । राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना की है । सभी भाषाओं जैसे- आसामी, बांग्ला, बोडो आदि के शब्दों को हिंदी में समाहित कर हिंदी को समृद्ध करना है ।

उन्होने बताया कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय का मुख्य कार्य हिंदी में कार्य की समीक्षा करना है । बैंकों, उपक्रमों में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है । राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी प्रोत्साहन योजनाएं हैं । हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत से कार्यालयों को पुरस्कृत किया गया है । आईटी टूल्स का विवरण राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है । अगर कोई विज्ञापन अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में देते हैं तो उसे हिंदी में भी देना अनिवार्य है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट सभी कार्यालयों से ऑनलाइन आना चाहिए नहीं तो पुरस्कार की श्रेणी से वे बाहर हो जाएंगे । उन्होंने बताया की लीला के माध्यम से घर बैठे हिंदी प्रवीण, प्राज्ञ सीख सकते हैं । लीला साफ्टवेयर नि:शुल्क है ।

उनके द्वारा बताया गया कि विदेशों में भी हम नराकास के गठन की ओर आगे बढ़ रहे हैं । संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की 117 संस्तुतियां राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है । राजभाषा नियम का अनुपालन कराना कार्यालय प्रमुख की

जिम्मेदारी है । नराकास की बैठकों में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित हो। नराकास की बैठकों में अध्यक्ष की भागीदारी बढ़चढ़ कर होनी चाहिए । वेबसाइट द्विभाषी होनी चाहिए । राजभाषा हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा दिया जाए । तिमाही प्रगति रिपोर्ट में आंकड़े तथ्यपरक दिए जाएं । एक दूसरे से हिंदी के कार्य को सीखें, इससे हिदी का कार्य आगे बढ़ेगा । पत्रिकाओं में लेख अधिक हों, फोटो कम हों ।

राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित संयुक्त नराकास की वेबसाइट पर पूरे देश में 35 नराकास तथा पूर्वोत्तर एवं पूर्व क्षेत्र के 09 नराकास द्वारा डाटा अपलोड किया गया है । शेष सभी नराकास संयुक्त नराकास की वेबसाइट पर 15 दिनों के अंदर डाटा अपलोड करें । यह कार्य दोनों क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के कार्यालय प्रमुख सुनिश्चित कराएं ।

(कार्यवाही : क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के कार्यालय प्रमुख)

5. श्री नागेन्द्र सिंह, तकनीकी निदेशक, एन आई सी ने भाषाओं के विकास पर एवं लीला ऐप के बारे में वि डियो दिखाया तथा नराकास सूचना प्रबंधन प्रणाली में अपलोड की गई सामग्री में क्या-क्या गलती है, कैसे ठीक करना है, हिंदी तिमाही पगति रिपोर्ट में जो गलतियां हैं उसके बारे में तथा नराकास की लिंक के बारे में विस्तार से पीपीटी प्रस्तुति के द्वारा बताया । उन्होने कहा कि जो भी डिटेल अंग्रेजी में भरे गए हैं उसे हिंदी में भी भरा जाए । नराकास की स्थापना की तिथि भी भरी जाए । कई नराकास की बैठकों का विवरण सिस्टम पर अपलोड नहीं होता है। प्रोफाइल अपडेट करते रहें, समय-समय पर जो बदलाव होते रहते हैं, उसको देखें। बेवसाइट खोलकर अवश्य देखें उसमें दी गई अति आवश्यक नसूचनाओं को अवश्य पढ़े तथा उसके अनुसार कार्रवाई करें। नराकासों की सभी रिपोर्ट अपडेट नहीं है, रिपोर्ट अपडेट करने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कभी भी उनके मेल अथवा मो0 नं0 पर संपर्क कर समाधान पा सकते हैं।

6. श्री राजेश चतुर्वेदी , प्रबन्धक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, 24 परगना द्वारा उनके प्रस्तितुतिकरण में भारतीय स्टेट बैंक में डिजिटलीकरण दिशा और संभावनाएं के बारे में विस्तार से बताया गया I

7. श्री दिलीप कुमार सिंह, सचिव धनबाद, नराकास, ने अपने प्रस्तुतीकरण में हिंदी कंप्यूटिंग के लिए उपयोगी टूल्स के बारे में विस्तार से बताया I

8. श्री ओम प्रकाश, उप प्रबंधक (राजभाषा), एवं सदस्य सचिव, "नराकास" फरक्का ने अपने प्रस्तुतीकरण में हिंदी के विभिन्न टूल्स के बारे में विस्तार से बताया I

9. श्री परिमलेंदु सिन्हा, सदस्य सचिव, नराकास पटना (बैंक)द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नराकास की गतिविधियों/उपलबधियों के बारे में बताया गया ।

10. श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्य सचिव, नराकास सिलीगुड़ी, द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को प्रभावी बनाने में तकनीक की भूमिका पर प्रस्तुतीकरण दिया गया I

11. श्री राजीव वार्ष्णेय, मुख्य प्रबंधक (रा.भा.), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी ने अपने प्रस्तुतीकरण में राजभाषा कार्यान्वयन के सहज सरल उपाय बताये I

12. श्री अमर नाथ, प्रबंधक (रा.भा.) भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी, ने अपने प्रस्तुतीकरण में नरकास में राजभाषा कार्यन्वयन के लिए किये गए विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया I

13. सुश्री सबीना चौधरी डिगबोई रिफाइनरी ,द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में नरकास में राजभाषा कार्यन्वयन के लिए किये गए विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया गया ।

14. श्री आशीष मोदी, डाटा टेक्नोलॉजी प्रा. लि. ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हिंदी में ईमेल भेजने के बारे में विस्तार से बताया जिसकी सब ने बहुत सराहना की I

15. श्री प्रभास कुमार झा, सचिव, राजभाषा विभाग ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सर्वप्रथम बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए सभी को धन्यवाद दिया । उन्होंने बताया की लीला ऐप-मोबाइल ऐप का बहुत आराम से प्रयोग किया जा सकता है । इसका प्रचुर मात्रा में प्रचार-प्रसार करें । यह एप्प बहुत ही यूजर फ्रैंडली है । इसका विज्ञापन करें । इसका अच्छा प्रभाव युवावर्ग पर पड़ेगा । अनुवाद रूपी चुनौती को तकनीक के माध्यम से समाधान के लिए बहुत तेजी से बहुत आगे तक काम हो चुका है । उनके द्वारा मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर जोर दिया गया । पहला हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कंटेंट का निर्माण । विभिन्न विषय वस्तुओं पर उत्तम स्तर का कंटेंट हिंदी में कम उपलब्ध है । दूसरी बात तकनीक का है । दोनों में प्रगति अवश्य हुई है परन्तु इसे और आगे बढ़ाना है । उन्होने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को हिंदी से जोड़ने पर बल दिया ताकि हिंदी एक जीवंत संपर्क सूत्र बने । सभी प्रस्तुतियों के बारे में प्रशंसा की गई । विभागाध्यक्षों से हिंदी से संबंधित संवर्गों का पुनर्गठन करने के लिए कहा गया ।

उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार में अनुशासन होना चाहिए । भाषा को किसी पर थोपा नहीं जा सकता है । इसका विकास प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से ही होना चाहिए। पूर्वोत्तर की सभी भाषाओं को हिंदी से जोड़ना चाहिए । हिंदी संवर्ग के पास काफी अनुभव है। हिंदी संवर्ग को सुदृढ़ करना होगा । कार्यालय अध्यक्ष को इस संबंध में पहल करनी होगी । नराकास के माध्यम से हिंदी यानि राजभाषा के मंच का भरपूर उपयोग हो। उन्होने संगोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के दोनों कार्यालय प्रमुखों तथा पूरी टीम को धन्यवाद दिया । उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से जो तकनीकी संगोष्ठी होंगी उसमें विभागों, कार्यालयों द्वारा अच्छी गुणवत्ता की ज्ञान सामग्री का निर्माण व प्रस्तुतिकरण हो। साथ ही विभागों को तकनीकी सत्र से राजभाषा को सुदृढ़ व परीपक्व बनाया जाए ।

16. समीक्षा सत्र में सर्वप्रथम श्री शरत कुमार, सदस्य सचिव, नराकास बरौनी ने भारत सरकार के 'लोगो' का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, सभी सदस्य कार्यालयों से अंशदान लें या नहीं तथा पोर्टल में 'मसौदा' या 'अंतिम' क्लिक करें आदि के बारे में प्रश्न किया । संयुक्त सचिव ने कहा कि नराकास भारत सरकार के 'लोगो' का इस्तेमाल करने में यदि उनके विभाग द्वारा सक्षम हैं तो कर सकते हैं । राजभाषा विभाग 'लोगो' आबंटित अलग से नहीं कर सकता है । अंशदान लेने के लिए राजभाषा विभाग से कोई आदेश नहीं जारी किया गया है और न ही अंशदान हेतु कोई आदेश दिया जाएगा । नराकास संबंधी विवरण अपलोड हेतु 'अंतिम' पर क्लिक करने से ही अपलोड हो जाएगा ।

हल्दिया रिफाइनरी के प्रतिनिधि ने कहा कि पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकर्ताओं के ई-मेल या सम्पर्क नम्बर आदि राजभाषा विभाग के वेबसाइट पर डाला जाए ताकि और लोग उसका लाभ उठा सकें । संयुक्त सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर सभी प्रस्तु तिकर्ताओं के विवरण एक हफ्ते के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा।

(कार्यवाही

:निदेशक(का.) राजभाषा विभाग)

सीसीएल, रांची की सदस्य सचिव श्रीमती निवेदिता बनर्जी ने कहा कि नराकास की अध्यक्षता चूंकि उनके पास पिछले 08 वर्षों से है अत: नराकास (उपक्रम) रांची की अध्यक्षता किसी अन्य कार्यालय को सौंपी जाए । जिसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोलकाता एक सप्ताह के अंदर किसी अन्य कार्यालय को अध्यक्षता सौंपने हेतु प्रस्ताव राजभाषा विभाग को भिजवाएं ।

(कार्यवाही : क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता)

इंजीनियर्स इंडिया लि0 के हिंदी अनुवादक श्री संजीव पाठक ने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में हिंदी टिप्पणियों की पृष्ठों की संख्या के स्थान पर हिंदी टिप्पणियों की संख्या पूर्व की भांति रख दी जाए । इसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि व्यावहारिक रूप से हिंदी टिप्पणियों की पृष्ठों की संख्या ही सही है ।

नराकास भुवनेश्वर (उपक्रम) के सदस्य सचिव श्री हरिराम पंसारी ने कहा कि अधिकारी/कर्मचारियों की एपीएआर में हिंदी कार्यान्वयन संबंधी कार्य का विवरण का कॉलम जोड़ा जाए तथा उसके आधार पर प्रोन्नति आदि पर विचार किया जाए । इसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा एपीएआर में हिंदी कार्यान्वयन संबंधी कार्य का विवरण जोड़ने हेतु प्रयास किया गया था परन्तु डीओपीटी ने उसे अस्वीकार कर दिया ।

नराकास सुनाबेड़ा के हिंदी अधिकारी श्री ओंकार दास मानिकपुरी ने कहा कि नराकास सूचना प्रबंधन प्रणाली पर सदस्य कार्यालयों के विवरण भरते समय दूरभाष संख्या अनिवार्य न किया जाए । उसमें मोबाईल नम्बर देने/देखने का विकल्प भी रखा जाए । संयुक्त सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा लैंड लाइन नम्बर देने की मेंडेटरी कंडिशन दो दिन के अंदर खत्म कर दिया जाए तथा उसमें मोबाइल नम्बर देने/देखने का विकल्प भी रखा जाएगा।

(कार्यवाही : वरिष्ट तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग)

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि0, कोलकाता के हिंदी अधिकारी श्री संजय सिंह ने नराकासों को भी तकनीकी संगोष्ठी आयोजित करने, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित तकनीकी संगोष्ठी डेढ़ दिन तक करने तथा उच्च अधिकारियों के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशाला के आयोजन संबंधी प्रस्ताव रखा । संयुक्त सचिव ने कहा कि नराकासों के द्वारा तकनीकी संगोष्ठी के आयोजन में राजभाषा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । तकनीकी संगोष्ठी डेढ़ दिन तक करने हेतु भविष्य में विचार किया जाएगा और हिंदी कार्यशाला का आयोजन उच्च अधिकारियों के लिए राजभाषा विभाग समय समय पर करता आ रहा है।

नराकास (बैंक) रांची के सदस्य सचिव श्री राजेश गौंड ने नराकास की वेबसाइट पहले से यदि किसी की बनी हो तो उसे रद्द किया जाए या नहीं, पत्रिका वर्ष में दो बार प्रकाशित करने के बजाय एक बार प्रकाशित की जाए आदि पर जानकारी मांगी । संयुक्त सचिव ने कहा कि पहले से बनी नराकास की वेबसाइट यदि पहले से बनी हो तो उसे रखने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु संयुक्त वेबसाइट पर अपलोड करना समरूपता एवं समीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है । नराकास द्वारा वर्ष में दो बार पत्रिका

प्रकाशित की जाएगी । एक बार पत्रिका प्रकाशित करने संबंधी निदेश जारी करना फिलहाल संभव नहीं है ।

नराकास (बैंक) कोलकाता के सदस्य सचिव श्री विजय कुमार यादव ने बैंकों में व्यवहार में लाए जाने वाले करार आदि धारा 3(3) के दस्तावेज को तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों में न दर्शाए जाने हेतु अनुरोध किया । संयुक्त सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग इसपर विचार विमर्श कर स्थिति से अवगत कराएगा तथा जारी किए जाने वाले कार्यवृत्त से इसे शामिल करेगा । राजभाषा नीति के अनुसार यह करार द्विभाषी होना अनिवार्य है तथा इसको दर्शाना/सूचित करना भी आवश्यक है अर्थात यह करार धारा3(3) के अन्तर्गत आता है ।

नराकास (बैंक) पटना के सदस्य सचिव श्री परिमलेंदु सिन्हा ने कहा कि नराकास की वेबसाइट जो पहले से बनी हो उसे रखी जाए साथ ही राजभाषा विभाग द्वारा बनाई गई संयुक्त वेबसाइट में भी सूचनाएं भरी जाएं ।

ओएनजीसी जोरहाट के श्री ओमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि पत्रिका की मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, कृपया बताया जाए । संयुक्त सचिव ने कहा कि मूल्यांकन संबंधित विवरण विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है । पत्रिका में मूल लेखन को बढ़ावा दिया जाए तथा पत्रिका में अपने ही अधिकारियों द्वारा मूल लेखों को सममि लित किया जाए ।

नराकास (बैंक) गुवाहाटी के सदस्य सचिव श्री विजय पाल सिंह चौहान ने सदस्य कार्यालयों से अंशदान लेने संबंधी आदेश के बारे में जानकारी मांगी । संयुक्त सचिव ने कहा कि अंशदान लेने के लिए राजभाषा विभाग से कोई आदेश नहीं दिया गया है और न ही अंशदान हेतु कोई आदेश दिया जाएगा । नराकास संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु राजभाषा विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि की बढ़ोत्तरी की जा रही है।

(कार्यवाही : निदेशक(का.), राजभाषा विभाग)

पोर्टब्लेयर नराकास के सदस्य सचिव श्रीमती सुलोचना ने कहा कि मुख्यालयों में हिंदी पदों के सृजन के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए । संयुक्त सचिव ने कहा कि इस संबंध में सभी मुख्यालयों को पत्र भेजा जाएगा ।

(कार्यवाही : उपसचिव(सेवा), राजभाषा विभाग)

नराकास दीमापुर के हिंदी अनुवादक ने कहा कि नराकास की बैठकों में सदस्य कार्यालय के प्रमुख भाग नहीं लेते, इस संबंध में कार्रवाई की जाए । संयुक्त सचिव ने कहा कि इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय अनुपस्थित अध्यक्षों की सूची राजभाषा विभाग को शीघ्र भिजवाएं ।

(कार्यवाही : क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी एवं कोलकाता)

17. समीक्षा सत्र के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई जिसे सब ने बहुत पसंद किया ।

18. बैठक का समापन श्री बद्री यादव, अनुसन्धान अधिकारी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ ।